रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 1995/कार्तिक 18, 1917
No. 458] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 1995/KARTIKA 18, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1995

सं. 157/95-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 732 (अ).— केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त

मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/95 सीमाशुल्क, तारीख 7 मार्च, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में,––

(क) "और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ख) शर्त (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(5) इस प्रकार आयातित निवेशों का व्ययन या उपयोग, इस अधिसूचना के निबंधनों के आधार पर लौह और इस्पात मध्यकों के विनिर्माण और प्रदाय की बाध्यता के उन्मोचन में उपयोग किए जाने के सिवाए, उक्त अनुज्ञप्ति के अधीन उक्त बाध्यता का पूर्ण उन्मोचन किए जाने से पहले, किसी भी रीति में नहीं किया जाएगा ;

परन्तु इस अधिसूचना के आधार पर आयातित अतिरिक्त पुर्जों और खपत सामग्री को किसी भी रीति में उधार नहीं दिया जाएगा, अन्तर्गत नहीं किया जाएगा, उसका विक्रय या व्ययन नहीं किया जाएगा और आयातकर्ता द्वारा उनका उपयोग केवल अपने कारखाने में किया जाएगा ।

(6) जहां इस अधिसूचना का फायदा अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा ईप्सित है वहां ऐसा फायदा उक्त अनुज्ञप्ति के आधार पर केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब इस पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अन्तरणीयता का पृष्ठांकन हो :

परन्तु उक्त अनुज्ञप्ति के अधीन लौह और इस्पात मध्यकों के प्रदाय की बाध्यता पूरा कर लिए जाने से पहले अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अन्तरणीयता का पृष्ठांकन नहीं किया जाएगा ।"

(ग) स्पष्टीकरण में–

(I) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–"(iii)"निवेश" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(क) आई ओ सन्नियमों में आयात मद के रूप में विनिर्दिष्ट और लौह और इस्पात मध्यकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री, संघटक, मध्यक और खपने वाली सामग्री ; और

(ख) आयातकर्ता के कारखाने में संस्थापित पूंजी माल के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति के मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे"

(II) खंड (iv) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात:—

"परन्तुक जहां ऐसी मदों के लिए किसी अन्य स्कीम के अधीन छूट के फायदा का उपयोग किया गया है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा कोई ऐसी निर्मोचन सूचना जारी नहीं की जाएगी"।

[फा.सं. 505/198/94-डी बी के]
ए.के. मदान, अवर सचिव

पाद टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 117(अ), दिनांक 7 मार्च, 1995 के तहत प्रकाशित की गयी थी और बाद में सा.का.नि. 652(अ), दिनांक 19 सितम्बर, 1995 द्वारा उसका संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 1995

No. 157/95—CUSTOMS

(S.R.732(E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs, Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 10/95 Customs, dated the 7th March, 1995 namely:-

In the said notification,—

(a) the words, "and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act" shall be deleted;

(b) for conditions (5) and (6), the following shall be substituted, namely:—

"(5) that the inputs so imported shall not be disposed off or utilised in any manner, except for utilisation in the discharge of obligation to manufacture and suppply iron and steel intermediates in terms of this notification, before the said obligation under the said licence has been discharged in full:

Provided that spares and consumables imported in terms of this notification shall not be loaned, transferred, sold or dis-

posed of in any manner, and shall be used by the importer only in his factory:

(6) where benefit of this notification is sought by a person other than the licencee, such benefit shall be allowed against the said licencee, only if it bears endorsement of transferablity by the Licencing Authority:

Provided that endorsement of transferabil ty shall not be made by the Licencing Authority before the obligation to supply iron and steel intermediates under the said licence has been fulfilled;";

(c) In the Explanation,—

(I) for clause (iii), the following shall be substituted, namely:-

"(iii) "in puts" means,—

(a) raw materials, components, intermediates and consumables specified as import items in the I-O Norms and required for the manufacture of iron and steel intermediates; and

(b) spares for a value not exceeding 5% of the value of the licence required for the maintenance of capital goods installed in the importer's factory;"

(II) in clause (iv), for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that no such Release advice shall be issued by the Licensing Authority where benefit of duty exemption for such items has been availed under any other scheme."

[F.No. 605/198/94-DBK]
A.K. MADAN, Under Secy.

Foot Note: The principle notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 117(E) dated the 7th March, 1995 and subsequently amended vide GSR No. 652(E) dated the 19th September, 1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995